फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

मनफूलराम **बनाम** मदनलाल आदि

किस्म मुकदमाः—251 (क) पाईप लाईन स्वीकृति प्रकरण सं.:— 131/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.02.24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के नाम से तहसील सूरतगढ के चक 3 केएसएम खाता नं0 33 प0न0 191/25 (2) कि0न0 1 ता 25 = 6.325 है0 अ0क0, प0न0 191/33 (3) कि0न0 1 ता 20 = 4.807 है0 अ0क0 कुल 11.132 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि है। जो कि अनकमाण्ड है। प्रार्थी उक्त भूमि में फसल काश्त करने हेतु अपनी खातेदारी भूमि चक 3 केएसएम खाता नं0 94 प0न0 191/34 (8) कि0न0 23 = 0.253 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि में लगे सौलर क्नेकशन से चलित कुयें से पाईप लाईना लाकर सिंचाई करता है। उपरोक्त पाईप लाईन अप्रार्थी नं0 1 के नाम स्थित खातेदारी भूमि चक 3 केएसएम प0न0 191/34 कि0न0 18, 13, 9, 1 में से होते हुये प्रार्थी की भूमि प0न0 191/25 कि0न0 25 में प्रवेश करती है। जो कि भूमि से करीब 4—4 फुट निचे स्थित है। उक्त पाईप लाईन अप्रार्थी नं0 1 की सहमति व मौखिक स्वीकृति से डाली गई है। वर्तमान में उक्त भूमि अप्रार्थी नं0 1 के नाम से दर्ज है। प्रार्थी चक 3 केएसएम प0न0 191/34 कि0न0 18, 13, 9, 1 में चल रही भूमि गत पाईप लाईन को स्वीकृत करवाना चाहता है एवं अप्रार्थी नं0 1 के नाम दर्ज इन्ही किलेजात में 4 फुट गहरी नवीन भूमिगत पाईप लाईन डालने की स्वीकृति भी प्राप्त करना चाहता है। ताकि प्रार्थी अपने नाम दर्ज चक 3 केएसएम खाता नं0 94 के प0न0 191/34 कि0न0 23 में विधुत क्नेकशन से चलित दूसरे कुयें से भी खाता नं0 33 की भूमि में सिंचाई कर सके। वर्तमान में फसल बिजाई का समय चल रहा है। अप्रार्थी रोज प्रार्थी को उक्त चल रही पाईप लाईन उखाड़ कर सिंचाई में बाधा डालने की धमकी देते रहते हैं। पाईप लाईन मौके पर चल रही हैं जोकि अच्छी हालत में है। लेकिन स्वीकृत नही होने के कारण भविष्य में विवाद होने की सम्भावना बनी रहेगी। भविष्य में मौका पर कोई विवाद न हो इसलिये प्रार्थी भूमिगत पाईप लाईन को स्वीकृत करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि चक 3 केएसएम खाता नं0 33 प0न0 191/25 कि0न0 1 ता 25 = 6.325 है0, प0न0 191/33 कि0न0 1 ता 20 = 4.807 है0 कुल 11.132 है0 भूमि में सिचांई हेतु चक 3 केएसएम प0न0 191/34 कि0न0 18, 13, 9, 1 में चल रही भूमिगत पाईप लाईन को स्वीकृत किया जावें एवं इसी प्रकार चक 3 केएसएम प0न0 191/34 कि0न0 18,13,9,1 में 4 फुट गहरी नवीन भूमिगत पाईप लाईन सिंचाई हेतु डालने की स्वीकृत प्रदान की जावें। आपकी अति कृपा होगी। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अप्रार्थी नं 1 बाद सूचना न्यायालय में हाजिर नही होने के कारण उनके खिलाफ दिनांक 04.10.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई हैं। अप्रार्थी नं0 2 श्रीमान तहसीलदार सूरतगढ द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 05.07.2023 को अपनी रिपोर्ट पेश की है। पाईप लाईन सम्बन्धित काश्तकार द्वारा स्वयं के खर्च पर भूमि में निर्धारित मापदण्ड अनुसार नीचे दबा कर ही ले जायी जाने का प्रावधान है। मौका पर पाईन लाईन दबी हुई है। प्रार्थी द्वारा चाही गई भूमिगत पाईप लाईन को स्वीकृत किये जाने एवं नवीन पाईप लाईन डालने की स्वीकृत प्रदान किये जाने से राज्य हित को कोई नुकसान नहीं है। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़